राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 1376/2011/राजसमन्द

मैसर्स श्रीनाथ रेडीमेड पैलेस,
द्वारकेश मार्केट, कांकरोली,
राजसमन्द
.....अपीलार्थी

बनाम

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वार्ड–I, राजसमन्द
.....प्रत्यर्थी

अपील संख्या 1377/2011/राजसमन्द

मैसर्स सपना एन्टरप्राईजेज,
रामधुन गली, कांकरोली,
राजसमन्द
.....अपीलार्थी

बनाम

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वार्ड–I, राजसमन्द
.....प्रत्यर्थी

अपील संख्या 1378/2011/राजसमन्द

मैसर्स सपना एजेन्सी,
रामधुन गली, कांकरोली,
राजसमन्द
.....अपीलार्थी

बनाम

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वार्ड–I, राजसमन्द
.....प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री ओ.पी.दोसाया,
अभिभाषक
.....अपीलार्थीगण की ओर से

श्री आर.के.अजमेरा,
उप–राजकीय अभिभाषक
.....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 17.05.2017

निर्णय

1. अपीलार्थी द्वारा ये तीनों अपीलें उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर, भीलवाड़ा (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 16, 17 व 18/वैट/2010–11 में पारित संयुक्त आदेश दिनांक 08.04.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–प्रथम, वृत्त–राजसमन्द (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) के द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्द्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 24 के अन्तर्गत पृथक–पृथक आदेश दिनांक 25.02.2009 को पारित करते हुए क्रमशः रूपये 26,692/–, 1,81,596/– व 52,012/– की मांग सृजित की है, जिसके विरूद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलें प्रस्तुत करने पर उन्होंने अपीलें अस्वीकार की है।

उक्त तीनों अपीलों में समान बिन्दु निहित होने के कारण इनका निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक–पृथक रूप से रखी जा रही है।

लगातार.....2

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि व्यवसायी द्वारा वर्ष 2006–07 के विक्रय के संबंध में वैट–11 पेश किया गया था। सशक्त अधिकारी द्वारा पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया गया कि व्यवसायी द्वारा नियमानुसार धारा 3(2) का विकल्प पेश नहीं किया है। अतः दिनांक 18.06.2008 को नोटिस जारी किया गया कि आपने धारा 3(2) के लिये विकल्प प्रस्तुत नहीं किया है अतः क्यों न घोषित विक्रय पर पूर्ण कर दर से करारोपण किया जावे। इस प्रकार व्यवसायी को आलौच्य अवधि के वैट–10 पेश करने एवं आगत कर का लाभ लेने का पूर्ण अवसर दिया गया, लेकिन व्यवसायी द्वारा नोटिस का कोई जवाब पेश नहीं किया। अतः दिनांक 25.02.2009 को फर्म का आलौच्य अवधि का धारा 24(3) के अन्तर्गत कर निर्धारण आदेश पारित कर मांग राशि रूपये 26,692/– सृजित की गई। दिनांक 30.06.2008 को व्यवसायी द्वारा धारा 33 के अन्तर्गत संशोधन आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया कि उसने समय पर धारा 3(2) का विकल्प कार्यालय में प्रस्तुत कर दिया था, अतः कर निर्धारण आदेश को संशोधित कर मांग हटाई जावे। आवेदन पत्र के पैरा–1 में धारा 3(2) का विकल्प पेश करने की प्राप्ति रसीद संलग्न करने का उल्लेख किया गया था। आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन करने पर पाया गया कि धारा 3(2) का विकल्प पेश करने की प्राप्ति रसीद आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं थी। अतः दिनांक 30.06.2009 को ही नोटिस जारी कर निर्देश दिये गये कि वह धारा 3(2) का आवेदन प्रस्तुत करने की प्राप्ति रसीद पेश करें। व्यवसायी द्वारा नोटिस का जवाब पेश करने हेतु दिनांक 22.07.2009 को स्थगन आवेदन पेश किया गया, जिसे स्वीकार कर आगामी तिथि 30.07.2009 नियत की गई, लेकिन व्यवसायी द्वारा प्राप्ति रसीद की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई। दिनांक 03.08.2009 को पुनः नोटिस जारी कर व्यवसायी को प्राप्ति रसीद पेश करने के निर्देश दिये गये, लेकिन व्यवसायी द्वारा न तो नोटिस का जवाब पेश किया गया और न प्राप्ति रसीद की प्रति पेश की गई। इससे स्पष्ट है कि व्यवसायी द्वारा जान–बूझ कर गुमराह करने एवं विभाग का समय व्यर्थ नष्ट करने के लिये संशोधन आवेदन पत्र में प्राप्ति रसीद संलग्न करने का उल्लेख किया गया। व्यवसायी को कई बार नोटिस जारी करने एवं पर्याप्त समय देने के बावजूद भी व्यवसायी धारा3(2) में विकल्प पेश करने की प्राप्ति रसीद पेश करने, वैट–10 पेश करने एवं आगत कर लाभ लेने में विफल रहा। व्यवसायी द्वारा धारा 3(2) का विकल्प पेश ही नहीं किया गया तथा जान–बूझ कर गुमराह करने एवं अवैधानिक फायदा उठाने के लिये संशोधन आवेदन पत्र में यह गलत तथ्य अंकित किया गया कि धारा 3(2) का विकल्प पेश करने की प्राप्ति रसीद संलग्न है। अतः व्यवसायी का संशोधन आवेदन–पत्र झुठा एवं आधारहीन होने के कारण अस्वीकार किया गया है तथा सृजित मांग यथावत रखी गयी है।

लगातार.....3

5. इस प्रकार उपरोक्त उल्लेखित तथ्यों से स्पष्ट होता है कि व्यवसाई ने धारा 3(2) का विकल्प कर निर्धारण अधिकारी को पेश नहीं की अपील स्तर पर धारा 33 के आदेश को विवादित किया गया है और अपीलीय अधिकारी ने अपील आदेश के पृष्ठ संख्या 14 में उल्लेख किया है कि धारा 3(2) का विकल्प चुनने का विधिक प्रावधान वैट नियम 17(2) में वर्णित है जिसके अनुसार व्यवसाई 30.06.2006 तक उक्त विकल्प प्रस्तुत कर सकता था और साथ में मूल पंजीयन प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना था जो इस प्रकरण में प्रस्तुत किया जाना प्रमाणित नहीं होता है चूंकि अपीलार्थी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी को कोई 3(2) के विकल्प प्रस्तुत करने का प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है। इसलिये अपीलीय अधिकारी ने तथ्यों के आधार पर व्यवसाई की अपील अस्वीकार की है। इसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। अपीलीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि की जाती है। व्यवसाई की अपील अस्वीकार की जाती है।

6. निर्णय सुनाया गया।

(मदन लाल मालवीय)
सदस्य